फर्द अहकाम

बाडाजी बनाम राजस्व वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 80/2018

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस को श्रवण किया गया। अतः वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार बंटवारा हेतु निर्णय किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर मियाद में कम हो तब बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	22/03/24	पत्रावली में प्रार्थीया ने जरिये वकील के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 CPC का पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र धारा 151, 152 CPC पर वकील प्रार्थीया की (पुनः गणना तकाजा जमाबन्दी) का अवलोकन किया। पत्रावली में कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीया ने आपत्ति पेश कर रखी है। जिस पर वकील प्रार्थीया की पुनः गणना तथा आपत्ति कुर्रेजात को खारिज किया गया है। जबकि तहसील ने निर्णय दिनांक 12/3/24 को ऑर्डरशीट लिखते समय वकील प्रार्थीया की सहमति	

फर्द अहकाम

~~प्रार्थी~~ वादिनी बनाम श्री राम वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पचवारा रामगढ़

केस संख्या 80/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		आदेश की पालना हो गई। अतः निर्णय आदेश दिनांक 12/3/24 से वकील प्रार्थीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति के आधार पर आपत्ति कुर्रेजात (जो खारिज की जा चुकी है।) पढ़ी व समझी जावे। वकील प्रार्थीगण को आ.पत्र धारा 151, 152 CPC शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]वारामगढ़

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
80 / 2018	13 / 06 / 2018	12 / 03 / 2024

1. बादामी बेवा हरिनारायण उम्र 60 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, खेमका की ढाणी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

1. श्रवणलाल पुत्र भीवा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, खेमका की ढाणी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र भीवा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, खेमका की ढाणी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. उप पंजियक महोदय जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री रामस्वरूप शर्मा :- वकील वादीया

श्री राजेश कुमार पारीक :- वकील प्रतिवादी 1

श्री सूरज शर्मा :- वकील प्रतिवादी 2

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादीया की ओर से एड0 श्री रामस्वरूप शर्मा ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम चावण्ड का मण्ड पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामगढ मे स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 341 रकबा 1.4200 है0, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.4600 है0, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.8600 है0 भूमियां है। जिनकी वादीया संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण तकासमा डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादिया का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 14.09.21 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2022 / 6930 दिनांक 14.10.2022 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील उभय पक्षो को समझाई की गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

का तकासमा किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

ाता ख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	बदामी पत्नि स्व0 हरिनारायण हि0 1/3, बाबूलाल, श्रवणलाल पुत्र भींवा हि0 2/3 जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार	341 449 516	1.42 0.46 0.86	बा0 2 चाही 3 बा0 1	–
	योग	किता 3	2.74	–	–

–: प्रस्तावित :–

ाता ख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	बदामी पत्नि स्व0 हरिनारायण जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार	341/1 449/1 516/1	0.4733 0.1553 0.2867	बा0 2 चाही 3 बा0 1	–
	योग	किता 3	0.9133	–	–
2	बाबूलाल पुत्र भींवाराम जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार	341/2 449/2 516/2	0.4734 0.1534 0.2866	बा0 2 चाही 3 बा0 1	–
	योग	किता 3	0.9134	–	–
3	श्रवणलाल पुत्र भींवाराम जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार	341/3 449/3 516/3	0.4733 0.1533 0.2867	बा0 2 चाही 3 बा0 1	–
	योग	किता 3	0.9133	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीया एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीया एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित ...या गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

बादामी बनाम श्रवणलाल वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 80 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामस्वरूप शर्मा अधिवक्ता वादीया व श्री राजेश कुमार पारीक वकील प्रतिवादी सं0 1 एवं श्री सूरज शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	बदामी पत्नि स्व0 हरिनारायण हि0 1/3, बाबूलाल, श्रवणलाल पुत्र भींवा हि0 2/3 जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार	341 449 516	1.42 0.46 0.86	बा0 2 चाही 3 बा0 1	–
	योग	किता 3	2.74	–	–

–: प्रस्तावित :–

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	बदामी पत्नि स्व0 हरिनारायण जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार	341/1 449/1 516/1	0.4733 0.1553 0.2867	बा0 2 चाही 3 बा0 1	–
	योग	किता 3	0.9133	–	–
2	बाबूलाल पुत्र भींवाराम जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार	341/2 449/2 516/2	0.4734 0.1534 0.2866	बा0 2 चाही 3 बा0 1	–
	योग	किता 3	0.9134	–	–
3	श्रवणलाल पुत्र भींवाराम जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार	341/3 449/3 516/3	0.4733 0.1533 0.2867	बा0 2 चाही 3 बा0 1	–
	योग	किता 3	0.9133	–	–

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीया एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीया एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ